# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 58/2021 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर निवासी मु.पो. वजीरपुर तहसील वजीरपुर

**GCMS No-2021/144**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 18.8.2021 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 01.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र को अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(107)सूकाअ/2021/927 दिनांक 4.6.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–<br>1. वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय का बिजली का बिल दिनांक 1.9.2021 से 31.5.2021 तक जमा बिल की रसीद प्रत्येक महीने की प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे।<br>2. वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय के कमरो मे कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी रात्रि में रूकते है उन अधिकारियों के नाम की प्रतिलिपि देने की कृपा करे।<br>3. वजीरपुर उपखण्ड मे उपखण्ड अधिकारी वर्तमान मे कहॉ पर रहते है उस जगह की जानकारी देने की कृपा करे।<br>4. उपखण्ड अधिकारी श्रीमान नरेन्द्र मीना जी वजीरपुर में रहते हुए मकान का किराया कितना सरकार से उठाया है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे।<br>5. वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय मे उपर की मंजिल मे निर्माण वर्तमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा किस मद मे करवाया व कितना खर्चा आया उनकी प्रमाणित प्रति देने की कृपा करें<br>6. वजीरपुर उपखण्ड मे वर्तमान उपजिला कलेक्टर द्वारा कितने भूमि के कनवर्जन किये गय है प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे।<br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीओ वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु अग्रेषित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Rajendra Kishan<br>Date: 2021.10.22 16:43:44 IST<br>Reason: SelfAttested<br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवाई उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सू.का.अ./2021/982 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 के कम में |

जमा करवायी गयी बिल राशि तथा बिन्दु संख्या 6 पर कन्वर्जन के प्रकरणों की संख्या के बारे मे अवगत कराया जा चुका है तथा जमा बिल एवं कन्वर्जन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2,3,4,5 के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 01.06.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 एवं 6 पर चाही गयी सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 982 दिनांक 20.7.2021 से लिखा गया है तथा इसी पत्र के माध्यम से बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अपीलान्ट को अवगत कराया गया है जो कि अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त लिखा गया है। अतः उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1,6 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना के संबंध में अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 40 दिवस के उपरान्त लिखा गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested